न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 19/2019

चुनीराम पुत्र खेताराम जाति जाट साकिन 6 बीएचएम जाखड़ांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. कोरी देवी पत्नी आत्माराम		जाति जाट साकिन 6 बीएचएम जाखड़ांवाली तहसील
2. हरीराम	पिसरान	तहसील पीलीबंगा
3. राजेन्द्र	आत्माराम	जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम
–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जगराज सिंह भारी — प्रार्थी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी संख्या 4
3. अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 18/12/2024

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री जग राज सिंह भारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है।

यह कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 5 बीएचएम के खाता सं. 10/8 के प.नं. 105/375 किला नं. 9/2, 11, 12, 19 ता 22 की 1.569 हैक्ट. कमांड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी मय नजरी नक्शा सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं.1 ता 3 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 5 बीएचएम के खाता सं. 7/2 के प.नं. 104/375 (4) किला नं. 4 ता 7, 14 ता 18, 19/1 की 2.378 हैक्ट., प.नं. 105/375 (5) किला नं. 1 ता 3, 9/1, 10 की 1.214 हैक्ट. कुल 3.592 हैक्ट. कमांड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है।

यह कि अप्रार्थी सं.1 ता 3 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 5 बीएचएम के खाता सं. 712 के प.नं. 104/375 (4) किला नं. 4 ता 7, 14 ता 18, 19/1 की 2.378 हैक्ट., प.नं. 105/375 (5) किला नं. 1 ता 3, 9/1, 10 की 1.214 हैक्ट. कुल 3.592 हैक्ट. कमांड खातेदारी भूमि के चिपते ही चक 8 जेडडब्ल्यूडी के [illegible] 5/374 किला नं. 21/1 ता 25/1 में मय गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड व [illegible] पर चालू है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी चक 8 जेडडब्ल्यूडी खाता स[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.12.19 17:09:16 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थी की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 5 बीएचएम के खाता सं. 10/8 प. नं. 105/375 किला नं. 9/2, 11, 12, 19 ता 22 की 1.569 हैक्ट. कमांड खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये प्रार्थी के पास कोई स्वीकृत व सुविधाजनक रास्ता नही है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 की भूमि चक 5 बीएचएम के प.नं. 105/375 (5) के किला नं. 1 व 10 प्रत्येक में 0.019–0.019 हैक्ट. रास्ता बजानिब पश्चिम

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

दिशा में उत्तर दक्षिण लम्बा रास्ता मौका पर चालू है जिसका उपयोग उपभोग अपनी भूमि में आने जाने के लिये करता है। जो पिछले कई वर्षो से चालू है। उक्त प्रशनगत रास्ता स्वीकृत नही है। इस रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई भी रास्ता नही हैं। प्रशनगत रास्ता सुविधाजनक व नजदीक है। राजस्व अभिलेख में यह रास्ता स्वीकृत नही होने के कारण प्रार्थी को काफी असुविधा हो रही है। इसलिये प्रार्थी इस रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहता है। रास्ता में आई भूमि के बदले में उतनी भूमि प्रार्थी अपनी कृषि भूमि मे से अप्रार्थी सं. 1 ता 3 को चक 5 बीएचएम के प.नं. 105/375 किला नं. 9 में 0.038 हैक्ट. देने के लिये तैयार व तत्पर है।

यह कि अप्रार्थी सं.4 जो कि भू धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है। यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के नाम चक 5 बीएचएम के प.नं. 105/375 (5) के किला नं. 1 व 10 प्रत्येक में 0.019–0.019 हैक्ट. रास्ता बजानिब पश्चिम दिशा में उत्तर दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के बाद दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को तलबी हेतु नोटिस जारी किये गए।

अप्रार्थीगण को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल लायी गई। प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक रीडर/2024/745 दिनांक 18.11.24 प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि के समस्त काश्तकारो को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा चाही गई भूमि रास्ते के अलावा अन्य स्वीकृतशुद्धा रास्ता मौके पर राजस्व रिकॉर्ड नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता से निकटतम दूरी पर प.नं. 105/375(5) के कि.नं. 2 के पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण रास्ता दिये जाने पर रास्ता सबसे कम दूरी पर होगा। प्रार्थीगण के पास मौके पर अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। बहस पर मनन कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेजों शपथ पत्र एवं हमारे द्वारा स्वयम् द्वारा मौका निरिक्षण बाद तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्व काश्ताकरी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट व प्रस्तुत नक्शा एव हमारे द्वारा मौका निरिक्षण के अनुसार मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि के समस्त काश्तकारो को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाही गई भूमि रास्ते के अलावा अन्य स्वीकृतशुद्धा रास्ता मौके पर राजस्व रिकॉर्ड नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता से निकटतम दूरी पर प.नं. 105/375(5) के कि.नं. 2 के पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण रास्ता दिये जाने पर रास्ता सबसे कम दूरी पर होगा। प्रार्थी के पास मौके पर अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता चक 5 बीएचएम के प.नं. 105/375

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.12.19 17:09:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

(5) के किला नं. 1 व 10 प्रत्येक में 0.019–0.019 हैक्ट. रास्ता बजानिब पश्चिम दिशा में उत्तर दक्षिण लम्बा रास्ता के स्थान पर प.न. 105/375(5) के कि.नं. 2 के पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण रास्ता कम दूरी का रास्ता प्रस्तावित किया गया है इसलिए तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा प्रस्तावित कम दूरी का रास्ता होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) स्वीकार किया जाना न्यायोचित है अतः चक 5 बीएचएम प.नं. 105/375(5) के कि.नं. 2 में 0.019 हैक्ट. पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण रास्ता रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी से उक्त रास्ता के प्रतिफल के रूप में डीएलसी की दुगना राशि खजाना राज में जमा करवाया जाकर आदेशों की पालना में तहसीलदार उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 18/12/24 सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.12.19 17:09:16 IST
Reason: SelfAttested